दिनांक 28.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 49/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एसटीएफः Social Media के माध्यम से Task देकर, ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 03 अभियुक्त भोपाल (मध्य प्रदेश) से गिरफ्तार।

दिनांकः 26–06–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को Social Media (Facebook & telegram) के माध्यम से Task देकर उसे पूरा करने पर रिवार्ड के रूप में धन दोगुना करने का लालच देकर फर्जी बैंक खातों में रूपये जमा कराकर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टर माइंड सहित 03 अभियुक्तों को भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– शिवांश मिश्रा पुत्र शैलेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी गणेशगंज सुहागपुर जनपद शहडोल मध्य प्रदेश। शिक्षा–बी फार्मा, उम्र 22 वर्ष। (मास्टरमाइंड)

2– रवि सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी पाण्डव नगर सुहागपुर जनपद शहडोल मध्य प्रदेश। शिक्षा–बी फार्मा, उम्र 23 वर्ष।

3– उमाशंकर तिवारी पुत्र बालमुकुन्द तिवारी निवासी प्लाट नम्बर 04 शापिंग सेन्टर साउथ तात्याटोपे नगर जनपद भोपाल मध्य प्रदेश, शिक्षा–हाईस्कूल, उम्र 43 वर्ष।

बरामदगी–

1– 03 अदद मोबाइल फोन।

2– 16 अदद डेबिट कार्ड।

3– 15 अदद चेक बुक।

4– 359 बर्क साइबर ठगी से सम्बन्धित व्हाट्सएप चैटिंग के स्कीनषाट

5– 09 अदद पास बुक।

6– 01 अदद पैन कार्ड।

7– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।

8– 01 अदद आईडी कार्ड आईजीटी।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– स्थानः कुन्जन नगर फेज 02 दानिश नगर होसंगाबाद रोड थाना बागसेवनियाँ भोपाल म0प्र0, दिनांकः 26–06–2025 समयः 18:50 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से Social Media के माध्यम से Task देकर उसे पूरा करने पर रिवार्ड के रूप में धन दोगुना करने का लालच दिखाकर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि थाना साइबर क्राइम अमेठी में श्री आशीष विक्रम सिंह द्वारा मु0अ0सं0 13/24 पंजीकृत कराया गया है कि उनको Facebook पर एक लिंक प्राप्त हुआ जिसमें एक फर्जी कम्पनी द्वारा सोशल मीडिया पर टास्क पूरा करने पर रिवार्ड देने को बोला गया था। लिंक को क्लिक करने पर वह एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड गये व उनका एक वालेट/डमी एकाउंट बना दिया गया। उस टेलीग्राम ग्रुप में एक टास्क दिया गया था, जिसमें रू 10,000/– जमा करने पर आषीश विक्रम सिंह को रू 2,512/– का रिवार्ड मिला। जिससे लालच में आकर उनके द्वारा 28 राउंड तक टास्क पूरा किया गया। जिसके बाद उनके वालेट में रिवार्ड के रूप में बैलेंस दिखाई देने लगा। जब वह उन्तीसवें राउंड में टास्क पूरा कर रहे थे, तब उनके वालेट में बैलेंस लगभग 5 लाख माइनस हो गया। आषीष को 50 प्रतिशत की छूट के साथ कम्पनी द्वारा दिये गये बैंक खाते में पैसा जमा करने को बोला गया, जिस पर उनके द्वारा रूपये दो लाख कम्पनी द्वारा बताये खाते में जमा करने पर कम्पनी द्वारा बताया गया, कि रूपये प्राप्त नही हुए हैं। आशीष द्वारा दोबारा से रूपये दो लाख जमा करने पर वादी के डमी एकाउण्ट में रू 9,13,785/ का बैलेंस दिखने लगा। कम्पनी द्वारा बताया गया कि अन्तिम टास्क पूरा कर अपना पैसा निकाल लेना। इस बार कम्पनी द्वारा रू 3,16,000/– का टास्क दिया गया, जिसको पूरा कर करने पर उनके डमी एकाउण्ट में रू 16,73,612/– बैलेंस दिखाई देने लगा, जिसको विड्राल करने का प्रयास किया गया, तो कम्पनी द्वारा बताया गया कि अब आपको सिक्योरिटी के रूप में रू 2,25,000/ और जमा करने होंगे, जो आपके डमी एकाउण्ट में जायेगा। इसके बाद पुनः उपरोक्त पैसा जमा कर विड्राल करने का प्रयास किया गया, परन्तु पैसा विड्राल नहीं हुआ। कम्पनी के कस्टमर केयर में बात करने पर 3 लाख और जमा करने को बताया गया। आशीष विक्रम सिंह द्वारा रूपये 3 लाख और जमा किया गया, फिर भी पैसा विड्राल नही हुआ, जिसके बाद कम्पनी ने बताया

कि अब आपको वीआईपी एक्सेस लेना होगा, जिसके लिए अपको रू 6,30,000/ और जमा करना होगा, तब तक रूपये 13 लाख की ठगी हो चुकी थी।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेषज्ञता के आधार पर विश्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 26–06–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा अमेठी पुलिस को साथ लेकर उपरोक्त संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 03 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र बागसेवनिया भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवांश मिश्रा उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मै व रवि सिंह बचपन से मित्र हैं। वर्तमान समय में भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से बीफार्मा कर रहे है। वर्ष 2023 में हम दोनो ने आई0जी0टी0 सैल्युशन भोपाल के काल सेन्टर में नौकरी की थी। वहीं पर हमारी जान पहचान जुबेर खान से हुई। जुबेर ने हमें सैफ खान से मिलवाया था, सैफ ने ही हम लोगों की मुलाकात अनिल नायक से कराई थी, जो बैंक खाते किराये पर लेता है। प्रतिकिट रू 15,000/ व उन बैंक खातों में जो भी रूपये आते हैं, उसका भी कमीषन देता हैं। जिस पर मै, रवि सिंह, दिव्यांशू मिश्रा उर्फ रघू शहडोल और मेरे मामा उमाशंकर तिवारी मिलकर व्यक्तियों से उनकी आईडी व कुछ एक मामलों में फर्जी कागज तैयार करके विभिन्न बैकों में एकाउण्ट खुलवाते थे। बैक खाता खुल जाने पर उस खाते की किट (एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, बैक खाते से रजिस्टर्ड सिमकार्ड, इंटरनेट बैकिंग का आईडी पासवर्ड व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी) अनिल नायक व उसके भाई अमित नायक को देते थे। प्रति एकाउण्ट किट के हिसाब से 15 हजार रुपये अनिल नायक व अमित नायक से हमे प्राप्त होते थे। अमित नायक व अनिल नायक साइबर ठगी/टास्क फ्राड का रूपया इन बैंक खातो में जमा कराते थे। इन बैंक खातों में ठगी से जो रुपया आता था, उसे हम लोग एटीएम कार्ड व चेक के माध्यम से कैश में निकाल कर अनिल नायक व अमित नायक को देते थे, जिसका हमें कमीषन मिलता था। हम लोगों द्वारा लगभग 50 बैक खाते पिछले एक वर्ष मे अनिल व अमित नायक को उपलब्ध कराये गये हैं। बैक खातों की किट लेने व कमीशन देकर हिसाब करने अनिल नायक का भाई अमित नायक यहां आता था। रवि सिंह ने भी शिवांश की बातों का समर्थन करते हुए बताया कि मै व शिवांश बचपन के दोस्त हैं, दोनो साथ में ही रहते हैं व पढाई करते है। पैसे के लालच में आकर यह काम किया जाता था। उमाशंकर तिवारी ने शिवांश व रवि के बयानों का समर्थन करते हुए बताया कि शिवांश मेरा सगा भांजा है। शिवांश के कहने पर ही मैं लोगों से बैंक खाते खुलवाकर उसकी पूरी किट शिवांश को उपलब्ध कराता था, जिसको शिवांश व रवि आगे अनिल नायक व अमित नायक को उपलब्ध कराते थे, जिसका मुझे कमीशन मिलता था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गिरोह द्वारा पिछले एक वर्ष में लगभग 200 बैंक खातो में ठगी किया गया है। अभियुक्तों द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों का भोपाल मध्य प्रदेश से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर जनपद अमेठी लाया जा रहा है। जिनको थाना साइबर क्राइम जनपद अमेठी के मु0अ0सं0 13/2024 धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61 (2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जायेगी।

एसटीएफः भारतीय सेना का फर्जी कर्नल बताकर, बेरोजगार युवक, युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार।

दिनांक 28–06–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को भारतीय सेना का फर्जी कर्नल बताकर, बेरोजगार युवक, युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

राहुल कुमार पुत्र रणधीर सिंह निवासी ग्राम ककराला, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी–

1– 04 अदद फर्जी नियुक्ति पत्र।

2– 01 अद्द सेना की वर्दी।

3– 01 अदद मोबाइल।

4– 02 अदद कूटरचित मोहर।

5– 01 अदद आधार कार्ड।

6– 01 अदद कैण्टीन कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

मकान नम्बर 302 नारायण नगर हेमपुरवा थाना– कोतवाली, जनपद सीतापुर दिनांक 28–06–2025 समय करीब 1:20 बजे रात्रि।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सदस्य के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के पर्वेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 28–06–2025 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, कि भारतीय सेना का फर्जी कर्नल बताकर, बेरोजगार युवक, युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला सदस्य जनपद सीतापुर में मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में हे0का0 राघवेन्द्र तिवारी, हे0का0 सूरज कुमार, आ0 कमाण्डो राजकुमार की एक टीम गठित कर मुखबिर के बताये गये उपरोक्त स्थान से 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह महार रेजीमेण्ट सागर, मध्य प्रदेश में सिपाही के पद पर तैनात है। उसका बैज नम्बर 10391419एम है। विगत करीब 06 माह से डीसीएम बाडी में चल रहा हूॅ। इस समय ड्यूटी पर नही हूॅ। वह अपने आप को भारतीय सेना का कर्नल बताकर और कर्नल की वर्दी धारण कर बेरोजगार लड़के व लड़कियों को फौज में विभिन्न पदो पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों से ठगी करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली, जनपद सीतापुर में मु0अ0स0 180/2025 धारा–319(ठ), 318(4), 352, 351(2), 336(1), 338, 341(1) 205 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद सीतापुर में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में सेना के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है।

एसटीएफः थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुलदीप गुरूग्राम, हरियाणा से गिरफ्तार।

दिनांक 28–06–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–329/2021 धारा–376/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

कुलदीप पुत्र श्याम सुन्दर सरोज निवासी ग्राम कलानी थाना मान्धाता वर्तमान थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़, हाल मुकाम–बागी (सराय केशव) थाना मऊआइमा, प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

सेक्टर–34 इन्फोसिटी बी–19 के सामने थाना सदर सेक्टर–38 गुरूग्राम हरियाणा दिनांकः 28–06–2025, समय 11:00 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रयागराज टीम द्वारा थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 329/2021 धारा 376, 504, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुलदीप की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त कुलदीप गुरूग्राम हरियाणा में छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण अमित शर्मा, सन्तोष कुमार, किशन चन्द्र व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम द्वारा सेक्टर–34 इन्फोसिटी बी–19 के सामने थाना सदर सेक्टर–38 गुरूग्राम हरियाणा से अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूँछताछ पर बताया कि वह ग्राम कलानी थाना मान्धाता का मूल निवासी है। वह गुरूग्राम हरियाणा में प्राइवेट नौकरी करता था और कभी–कभी अपने गॉव आता था। दिनांक 15–08–2021 को उसके गॉव की रहने वाली भारती शर्मा ने उसके विरूद्ध थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 329/21 धारा 376/504/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया था।

जिसकी जानकारी होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए वह इधर–उधर लुकछिप कर रह रहा था। कुछ समय बाद गुरूग्राम हरियाणा चला आया और वहीं पर केक फैक्ट्री के कैन्टीन में मैनेजर के रूप में काम करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त को थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 329/21 धारा 376/504/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर थाना सदर सेक्टर–38 गुरूग्राम हरियाणा में दाखिल किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुरूग्राम के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	485/2018	457/380 भादवि	मऊआइमा	प्रयागराज
2	213/2019	3/25 आर्म्स एक्ट	मऊआइमा	प्रयागराज
3	214/2019	411/413 भादवि	मऊआइमा	प्रयागराज
4	106/2019	379/411 भादवि	मान्धाता	प्रतापगढ़
5	329/2021	376/504/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट	मान्धाता	प्रतापगढ़
6	124/2022	174ए भादवि	मान्धाता	प्रतापगढ़

एएनटीएफः दिनांक 27.06.2025 को ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी द्वारा बिहार से गांजा की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 42 किलो 989 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 22 लाख रुपये) बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ए0एन0टी0एफ0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी के नेतृत्व में ए.एन. टी.एफ. ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले

गैंग के 02 सक्रिय तस्कर 1–शुकुलराम पुत्र राजकुमार राम निवासी ग्राम डूमरकोन थाना अधौरा जनपद भभुआ बिहार 2–विवेकानन्द पुत्र शिवकुमार राम निवासी ग्राम डूमरकोन थाना अधौरा जनपद भभुआ बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 42 किलो 989 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 22 लाख रुपये) बरामद किया गया । थाना रायपुर जनपद सोनभद्र में मु0अ0सं0 97/2025 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का पंजीकृत कराया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों से एक–एक कर व संयुक्त रुप से पूछताछ की गयी तो बताया कि ललेश यादव निवासी बघौता थाना अधौरा जनपद भभुआ बिहार से माल खरीद कर जनपद सोनभद्र , वाराणसी , मीरजापुर व उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में बिक्री करते है जिसके एवज में अच्छे खासे रकम कमाता हूं ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1–शुकुलराम पुत्र राजकुमार राम निवासी ग्राम डूमरकोन थाना अधौरा जनपद भभूआ बिहार।

2–विवेकानन्द पुत्र शिवकुमार राम निवासी ग्राम डूमरकोन थाना अधौरा जनपद भभूआ बिहार।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांकः 27–06–2025 समय–11.13 बजे, स्थान– धिपा पहाड़ी ग्राम दरमा थाना रायपुर जनपद सोनभद्र

बरामदगी का विवरण–

1–42 किलो 989 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 22 लाख रुपये)।

2–01 अदद मोटर साइकिल (UP 65 BJ 6747)

3–01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल ।

4–600 रुपये नकद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1–उ0नि0 मो0 शमी अशरफ शेख ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

2–मु0आ0 सुनील कुमार त्रिपाठी ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी ।

3–मु0आ0 आनन्द कुमार तिवारी ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी ।

4–आ0 प्रदीप कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

5–आ0 शिवांश राय ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

6–सहयोगार्थ टीम थाना रायपुर जनपद सोनभद्र ।

एएनटीएफः दिनांक 27.06.2025 को एएनटीएफ थाना गाजीपुर के द्वारा अवैध मादक पदार्थ हेरोईन की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 514 ग्राम अवैध हेरोईन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 1 करोड़ 1लाख 50 हजार रुपये) बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ए0एन0टी0एफ0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी के नेतृत्व में ए.एन.टी.एफ. थाना गाजीपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग के 03 सक्रिय तस्कर 1–प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र गिरीश नारायण तिवारी निवासी ग्रा0 पलौथा थाना चेनारी जनपद रोहताश बिहार 2–मो0 शहनवाज आलम पुत्र सफरू निवासी ग्रा0 वार्ड नम्बर 17 मोहल्ला शेरगंज सोनार गली थाना मॉडल जनपद सासाराम रोहताश बिहार तथा 3– श्याम किशोर दुबे पुत्र स्व0 सुरज नाथ दुबे निवासी ग्रा0 लक्सरी गंज थाना सासाराम जनपद सासाराम रोहताश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 514 ग्राम अवैध हेरोईन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 1 करोड़ 1 लाख 50 हजार रुपये) बरामद किया गया । थाना जैतपुरा, जनपद वाराणसी में मु0अ0सं0 160/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों से एक–एक कर व संयुक्त रुप से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोगो द्वारा बिहार से हेरोइन ला कर वाराणसी व आस–पास के क्षेत्र व चौराहो पर घुम कर छोटी–छोटी पुडिया बनाकर आस–पास के जनपदों में बेच कर धन कमाया जाता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1– प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र गिरीश नारायण तिवारी निवासी ग्रा0 पलौथा थाना चेनारी जनपद रोहताश बिहार उम्र करीब 30 वर्ष ।

2–मो0 शहनवाज आलम पुत्र सफरू निवासी ग्रा0 वार्ड नम्बर 17 मोहल्ला शेरगंज सोनार गली थाना मॉडल जनपद सासाराम रोहताश बिहार, उम्र करीब 39 वर्ष।

3–श्याम किशोर दुबे पुत्र स्व0 सुरज नाथ दुबे निवासी ग्रा0 लक्सरी गंज थाना सासाराम जनपद सासाराम रोहताश उम्र करीब 49 वर्ष।

नाम गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांक– 27.06.2025 समय–20.25 बजे, स्थान–सिटी स्टेशन के आगे जलालीपुरा निर्माणाधीन अन्डर पास के पास

बरामदगी का विवरण–

1– 514 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोईन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 1 करोड़ 1 लाख 50 हजार रुपये)

2– 2050/–रूपये नकद

3– एक आईफोन सहित 4 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1– प्र0नि0 श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

2– उ0नि0 आदित्य नारायण सिंह ए0एन0टी0एफ थाना गाजीपुर ।

3– आ0 इन्द्रपाल सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

4– आ0 अजीत कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

5– आ0 जयन्त कुमार सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

6– आ0 देवानन्द ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

7– सहयोगार्थ थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी ।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना जानकीपुरम

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 04 लाख 08 हजार 319 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनॉकः 28.06.2025 को थाना जानकीपुरम, क्राइम ब्रान्च, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न–भिन्न स्थानों से 04 अभियुक्तों 1–राहुल 2–रामू 3–विमलेश कुमार 4–राजीव को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना जानकीपुरम क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के

अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार राहुल के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट के 15 अभियोग, अभियुक्त रामू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट के लगभग आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त विमलेश कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राहुल निवासी सेंट मेरी स्कूल के पास पारा रोड थाना पारा, लखनऊ मूल पता–जरहरा थाना इंदिरानगर, लखनऊ।

2–रामू निवासी एम0जी0 कालोनी नागेश्वर मंदिर के पास सेक्टर–सी अलीगंज थाना अलीगंज, लखनऊ।

3–विमलेश कुमार निवासी सरोता थाना सोहरामऊ, उन्नाव।

4–राजीव निवासी जनता विहार कालोनी बादलखेड़ा थाना पारा, लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 04 लाख 08 हजार 319 रूपये नगद आदि।

<u>जनपद आजमगढ़/थाना अतरौलिया</u>

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये (कीमत) के चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी 01 लाख 85 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.06.2025 को थाना अतरौलिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1–गुड्डू 2–प्रकाश 3–साहब 4–मलाई 5–परिखन को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये (कीमत) के चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी 01 लाख 85 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अतरौलिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डू निवासी देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

2–प्रकाश निवासी देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

3–साहब निवासी पचदेवरा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

4–मलाई निवासी रकिपान थाना अमझोर जनपद रोहतास, बिहार।

5–परिखन निवासी देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये (कीमत) के चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी 01 लाख 85 हजार 500 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जैतपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 28.06.2025 को थाना जैतपुर, थाना जलालपुर, स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौराजी मुस्काई किमी0 83 गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे अन्डर पास से 04 अभियुक्तों 1–सत्येन्द्र कुमार उर्फ लौटू 2–अंकुश 3–नीरज कुमार 4–बंटी कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना जैतपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्येन्द्र कुमार उर्फ लौटू निवासी ग्राम अमरौला थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2–अंकुश निवासी चौदहप्रास थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

3–नीरज कुमार निवासी चौदहप्रास थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

4–बंटी कुमार निवासी ग्राम शाहपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 15 मोटर साइकिल।

जनपद हरदोई/थाना संडीला

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 28.06.2025 को थाना संडीला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना संडीला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डू निवासी ग्राम तकिया थाना संडीला जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

- **जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील उर्फ खोबरी को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।